

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 1976/पौष 22, 1897

No. 20]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 1976/PAUSA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th January 1976

G.S.R. 22(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Nos. 43/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974 and 40/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely:—

- (a) In notification No. 43/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974, after the second proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that in the case of the products mentioned in the aforesaid Table manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—

- (i) old iron or steel melting scrap;
- (ii) a combination of the material referred to at (i) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and
- (iii) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii) above,

the duty specified against the corresponding entries in column (3) of the said Table shall, when cleared during the period commencing on the 12th day of January, 1976 and ending with the 28th day of February, 1977, be reduced by seventy-five rupees per metric tonne."

(b) in notification No. 40/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, after the existing proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in the case of the products mentioned in the aforesaid Table manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—

- (i) old iron or steel melting scrap;
- (ii) a combination of the material referred to at (i) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and
- (iii) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii) above,

the duty specified against the corresponding entries in column (3) of the said Table shall, when cleared during the period commencing on the 12th day of January, 1976 and ending with the 28th day of February, 1977, be reduced by seventy-five rupees per metric tonne".

[No. 9/76-CE]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 22 (ख).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 43/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 तथा अधिसूचना सं० 40/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975, में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

(क) अधिसूचना सं० 43/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जाएगा अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि —

उपर्युक्त सारणी में वर्णित उत्पादों की बाबत, जो विद्युत बट्टी की साह्यता से, निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी एक से, अर्थात्:—

- (i) पुराना लोहा व इस्पात पिघलन रही से ;
- (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री के नये अमयुक्त इस्पात पिघलन रही के सम्मिश्रण से, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ; और
- (iii) किसी कच्चे रूप में लोहा, जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, के उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण से,

विनिर्मित है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क, जब उक्त उत्पादनों की निकासी 1976 की जनवरी के 12 वें दिन को प्रारम्भ तथा 1977 की फरवरी के 28 वें दिन को अंत होने वाली अवधि के दौरान की जाती है, पचहत्तर रुपए प्रति मेट्रिक टन कम कर दिया जाएगा” ।

(ख) अधिसूचना सं० 40/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 1 मार्च 1975 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि—

उपर्युक्त सारणी में वर्णित उत्पादनों की बाबत, जो विद्युत भट्टों की सहायता से, निम्न-लिखित सामग्रियों में से किसी एक से अर्थात्:—

- (i) पुराना लोहा न इस्पात पिचलन रही से ;
- (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री के नये अप्रयुक्त इस्पात पिचलन रही के सम्मिश्रण से, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ; और
- (iii) किसी कच्चे रूप में लोहा, जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क दे दिया गया है, के उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण से,

विनिर्मित हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क, जब उक्त उत्पादनों की निकासी 1976 की जनवरी के 12 वें दिन को प्रारम्भ तथा 1977 की फरवरी के 28 वें दिन को अंत होने वाली अवधि के दौरान की जाती है, पचहत्तर रुपए प्रति मेट्रिक टन कम कर दिया जाएगा ।”

[सं० 9/76-सी० ई०]

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 67/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, namely:—

In the said notification, in the proviso, after the words “shall be reduced by seventy-five rupees per metric tonne”, the words, figures and letters “up to the period ending with the 28th day of February, 1977” shall be inserted.

[No. 10/76-CE]

R. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

सा० का० मि० 23 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 67/73 तारीख, 1 मार्च, 1973 में, निम्नलिखित सशोधन और करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक में, “पञ्चहतर रुपए प्रति मैट्रिक टन कम कर दिया जाएगा” शब्दों के पूर्व “1977 को फरवरी के अष्टादशवें दिन तक और उसको सम्मिलित करते हुए” शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जाएंगे।

[सं० 10/76-सी० ई०]

आर० के० चक्रवर्ती, अवर सचिव ।